रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 अगस्त, 2005/17 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 2005

संख्या एल0एल0आर0ई(9) 32/2005-लैज.—श्री कृष्ण पाल शर्मा, अधिवक्ता ने सुन्दरनगर उप-मण्डल, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट मण्डी की सिफारिशों पर, जो इस निमित सक्षम प्राधिकारी हैं, और नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण पाल शर्मा, अधिवक्ता को सुन्दरनगर उप-मण्डल, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से नोटरी पब्लिक नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

1823-राजपत्र/2005-8-8-2005—1,460.

मूल्य : 1 रुपया।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9) 32/2005-*Leg. dated* 4-8-2005 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 4th August*, 2005

No. LLR-E (9) 32/2005-Leg.—WHEREAS Shri Krishan Pal Sharma, Advocate, Sundernagar has applied for appointment as Notary Public under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sundernagar Sub-Division of Mandi District ;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and rules have been completed.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Mandi who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956, is pleased to appoint Shri Krishan Pal Sharma, Advocate as Notary Public within the limits of Sundernagar Sub-Division of Mandi District, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries mantained by the Government.

By order,

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (*Law*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित